



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1655]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 9, 2017/ज्येष्ठ 19, 1939

No. 1655]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 9, 2017/JYAISTHA 19, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2017

आय-कर

का.आ. 1866(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर नियम, 1962 के नियम 10गक के उप-नियम (7) के परन्तुक के साथ पठित आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 92ग की उप-धारा (2) के तीसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचित करती है कि जहां अधिनियम की धारा 92ग के अधीन अवधारित आसन्निकट कीमत और वह कीमत, जिस पर अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार वास्तव में किया गया है, के बीच का अन्तर थोक व्यापार के सम्बन्ध में बाद वाले का एक प्रतिशत से अधिक और सभी अन्य मामलों में बाद वाले का तीन प्रतिशत से अधिक नहीं है, वहां वह कीमत, जिस पर अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार वास्तव में किया गया है, निर्धारण वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए आसन्निकट कीमत समझी जाएगी।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "थोक व्यापार" से माल के व्यापार का अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात्:—

- (i) तैयार माल के क्रय लागत ऐसी व्यापार क्रिया-कलापों से सम्बन्धित कुल लागत का अस्सी प्रतिशत या उससे अधिक है; और
- (ii) ऐसे माल की औसत मासिक अन्तिम माल सूची ऐसे व्यापार क्रिया-कलापों से सम्बन्धित विक्रयों का दस प्रतिशत या उससे कम है।

[अधिसूचना सं. 50/2017/फा. सं. 500/1/2014-एपीए-II]

पुनीत गुलाटी, अवर सचिव